

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संचिका संख्या-2/एल०-116/2025 /स्वा०, पटना, दिनांक :

डा० सचिन गुप्ता, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ससबहना, अरियरी, शेखपुरा द्वारा उपभोगित अवकाश की अवधि दिनांक-22.08.2021 से 17.09.2021 तक कुल-27 (सताईस) दिनों को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2560(25), दिनांक-08.12.2025 से प्राप्त अवकाश आदेयता प्रतिवेदन एवं बिहार सेवा संहिता के नियम-230 एवं 248 के आलोक में उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/—


(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-2/एल०-116/2025- 985(2) पटना, दिनांक 13/05/2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, शेखपुरा/जिला कोषागार पदाधिकारी, शेखपुरा/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ससबहना, अरियरी, शेखपुरा/ डा० सचिन गुप्ता, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ससबहना, अरियरी, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।
2